संख्याः नि0 979/3–5(ईको टास्क फोर्स)

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट www.forest.uk.gov.in /
फोन/फैक्स:–0135–2741607, 2742641
ई–मेल:–ccfpfmua@gmail.com

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी।

देहरादून दिनांक 19 अगस्त,2021

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य सैक्टर योजना "4406–01–101–07–00–ईको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण" हेतु बजट का आवंटन।

संदर्भ :– शासनादेश संख्या–1563/X-2-2020-12(50)2012 दिनांक 02 अगस्त,2021(छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

उक्त सन्दर्भित शासनादेश एवं उसके साथ संलग्न अलॉटमेंट आई.डी.S21070270016 दिनांक 28.07.2021 से वित्तीय वर्ष 2021–22 में वन विभाग के अनुदान सं0–27 की राज्य सैक्टर योजना "4406–01–101–07–00–ईको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण" योजनान्तर्गत शासन से अवमुक्त की गयी धनराशि ₹4,20,00,000/–(₹चार करोड़ बीस लाख मात्र) के सापेक्ष विभागाध्यक्ष द्वारा वर्तमान में जारी किये जाने हेतु अनुमोदित की गयी धनराशि ₹20,00,000/ (₹बीस लाख मात्र) का IFMS पोर्टल के माध्यम से विभाग के आहरण वितरण अधिकारी–प्रभागीय वनाधिकारी,भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी को ऑन लाइन बजट निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ आवंटन करते हुये प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है:–

1– सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2–अवमुक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–423/09(150)–2019/XXVII(1)/2021 दिनांक 31.03.2021 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।

3–अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे कार्य न कराए जिन हेतु राज्य सैक्टर में अलग से योजना उपलब्ध है, यदि योजना से इतर कार्यो को कराना पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।

4–कार्यो को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।

5–अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल),उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) नियमावली 2017, सूचना प्रौद्यौगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6–अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तद्नुसार उक्त मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी। मितव्ययता हेतु बनायी गयी स्पष्ट योजना से शासन को अवगत कराया जायेगा।

7–निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त सक्षम स्तर से वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।

8–आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

9–बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।

10–आवंटित/जारी धनराशि के सापेक्ष मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी.एम.–4 में कार्यालयवार भरकर बिलम्बतम प्रत्येक माह की पहली तारीख तक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

–2/–

संख्याः नि0 979(1)/3–5 (ईको टास्क फोर्स) तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड,देहरादून।

2– महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।

3– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

4– अपर सचिव, वित्त अनुभाग–4,उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

5– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।

6– मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, विकासनगर,उत्तराखण्ड को **IFMS** पोर्टल के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी से प्राप्त बिलों का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।

7– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

8– मुख्य वन संरक्षक,गढ़वाल उत्तराखण्ड।

9– वन संरक्षक,शिवालिक वृत्त देहरादून।

10– उप वन संरक्षक, आइ0टी0जी0सी0/अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

IFMS Uttarakhand

# बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022 )

## HOD-Principal Chief Conservator of Forest(4260)

Treasury-Vikasnagar(0105)

DDO-DFO Soil Conservation Division KalsiKalsi(4258)

आवंटन पत्र संख्या -Ni-979/3-5

आवंटन आई डी-H21080270148

अनुदान संख्या-027

आवंटन पत्र दिनांक-19-AUG-2021

लेखा शीर्षक

4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय — 01-forestry

101-वन संरक्षण और विकास — 07-इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य

00-इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य — Voted

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | अब तक का व्यय | योग |
|---|---|---|---|---|
| 46-वृक्षारोपण | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 |
| योग | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 |

**Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.20,00,000 (Rupees Twenty Lacs Only)**

Batch ID : DIS:4260:4260:2108:0163

Approval Status : APPROVED BY OFFICER